

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

प्रार्थी : कालूलाल जैन

विपक्षी : मैसर्स मौया रियल ऐसासियेट इण्डिया

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र

पत्रावली संख्या : 44 / 2021 सन 2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 09.03.2024</p> <p>प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का मूल वाद प्रत्याहारित कर लिया गया है।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मूल वाद प्रत्याहारित करने से इस प्रार्थना पत्र कार्यवाही समाप्त की जाती है। यह आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(श्री राजेन्द्र जैन) सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत</p>	
	<p>(श्री मनीष अग्रवाल) न्यायाधीश फौमिली कोर्ट-1 उदयपुर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत</p>	

